मानचित्र स्वीकृत करने की प्रक्रिया

सं0 1614 / 9–आ–3–97–38(विविध) / 97

प्रेषक,

श्री अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

2. अध्यक्ष,
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

3. आयुक्त,
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद,
उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग–3 लखनऊ : दिनांक 01 मई, 1997

विषय : नगर के पुराने एवं निर्मित क्षेत्रों में मानचित्र स्वीकृत करने की प्रक्रिया का सरलीकरण।

महोदय,

नगर के पुराने एवं निर्मित क्षेत्रों में भवन मानचित्र के स्वीकृति की प्रक्रिया को सरल किये जाने का निर्णय शासन द्वारा लिया गया है। इस सम्बन्ध में मुझो यह कहने का निर्देश हुआ है कि पुराने एवं निर्मित क्षेत्रों में 100 वर्गमीटर तक के भूखण्ड पर आवासीय भवनों के निर्माण / पुनर्निर्माण वा जीर्णोद्धार के लिए किसी प्रकार की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी, किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि महायोजना व उपनियमों आदि के अनुसार सेट–बैक छोड़े गये हैं तथा निर्माण कुल मिलाकर 3 मंजिल से अधिक न हो। इसी प्रकार 100 वर्गमीटर से अधिक व 300 वर्गमीटर तक आवासीय भवनों के निर्माण, पुनर्निर्माण एवं जीर्णोद्धार के लिए भी भवन मानचित्र दाखिल किये जाने पर स्वतः स्वीकृत माने जायेंगे, किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि अर्ह वास्तुविद् द्वारा तैयार भवन मानचित्र पर यह प्रमाण–पत्र अंकित किया गया हो कि प्रस्तावित निर्माण / पुनर्निर्माण महायोजना एवं बाई–लाज के अनुसार हो।

2. कृपया उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें। इस निर्देशों के उपरान्त प्राधिकरण का सम्बन्धि कर्मचारी 100 वर्गमीटर तक के भूखण्ड के भवन के अन्दर भवन निर्माण के सम्बन्ध में नहीं जायेगा।

भवदीय,

अतुल कुमार गुप्ता
सचिव